



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092022-239064
CG-DL-E-24092022-239064

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4329]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2022/आश्विन 1, 1944

No. 4329]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022/ ASVINA 1, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 23 सितम्बर, 2022

सं. 82/2022-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 4518(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या - 227/सीमाशुल्क/ मिसिल सं 405/3/80- सीमाशुल्क III, दिनांक 29 नवंबर 1980 जिसे सा.का. नि. 1232 दिनांक 29 नवंबर 1980 के तहत, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि भारत की सुरक्षा को बनाए रखने की दृष्टि से ऐसा करना जरूरी है, एतद्वारा, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंध-1 में यथा प्रतिपादित थ्रेशोल्ड मूल्य से अधिक परिशुद्ध आकाशीय शुद्धता और मूल्य के मैप्स और जियोस्पेशल डाटा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है।

2. इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंध- II में उल्लिखित गुणवत्ता वाले मैप्स और जियोस्पेशल डाटा के निर्यात पर प्रतिबंध अनुबंध- II की सारणी के कॉलम (3) में प्रतिपादित संवेदनपरक गुणवत्ता के अनुसार लगाया जाएगा।

अनुबंध – I

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2021 को जारी दिशा-निर्देशों के द्वारा यथा प्रतिपादित श्रैशोल्ड मूल्य

1. ऑन-साइट स्पेशल एकुरेशी – क्षैतिज या समतली के लिए 01 मीटर और ऊर्ध्व या तुंगता के लिए तीन मीटर।
2. गुरुत्वीय विसंगती - एक मिली गेज।
3. भू-क्षेत्रीय जल क्षेत्र में बैथीमेट्रिक डाटा की ऊर्ध्व शुद्धता – समुद्री रेखा से दस मीटर से लेकर पांच सौ मीटर तक और उसके बाद एक सौ मीटर तक।

अनुबंध – II

सुविधाओं/स्थापनाओं और उनकी संवेदनशील विशेषताओं की सूची

तालिका

क्रम संख्या	सुरक्षा प्रतिष्ठान/विशेषताएं और सुरक्षित सुविधाएं	निर्धारित नियमों के साथ संवेदनशील विशेषताएं*
(1)	(2)	(3)
1.	अंतरिम मिसाइल परीक्षण रेंज/एलटीआर।	साइट का नाम या सुविधा का विवरण और सुविधा/स्थापना से संबंधित अन्य सभी विशेषताएं। नोट: इन सभी प्रतिष्ठानों को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।
2.	एकीकृत मिसाइल परीक्षण रेंज।	
3.	मिसाइल फायरिंग रेंज।	
4.	मिसाइल प्रक्षेपण नियंत्रण	
5.	मिसाइल लॉन्चिंग पैड	
6.	मिसाइल लॉन्च कॉम्प्लेक्स। सुविधा	
7.	मिसाइल तकनीकी क्षेत्र	
8.	मिसाइल सिलोस	
9.	मोबाइल टेलीमेट्री साइट (मिसाइल के लिए)	
10.	परमाणु मिसाइल	
11.	आई टी आर पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग साइट	
12.	रडार साइट	
13.	तेल थोक डिपो/भंडारण टैंक	
14.	एलपीजी/एलएनजी भंडारण क्षेत्र/टैंक	
15.	तेल और गैस टर्मिनलों के परिचालन नियंत्रण कक्ष।	
16.	गोला बारूद पत्रिकाएं/डिपो।	
17.	विस्फोटक भंडारण क्षेत्र पत्रिकाएं	
18.	जैव सुरक्षा स्तर 3 और स्तर 4 लैब्स	
19.	एसएफसी (सामरिक बल परिसर)।	
20.	विमानन अनुसंधान केंद्र (एआरसी)।	
21.	कैबिनेट सचिवालय।	

22.	इंटेलिजेंस ब्यूरो (1 बी)।	
23.	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस)।	
24.	अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ)	
25.	अंतरिक्ष केंद्र	
26.	अंतरिक्ष बंदरगाह	
27.	देश भर में सभी परमाणु प्रतिष्ठानों सहित: <ul style="list-style-type: none"> • परमाणु ऊर्जा संयंत्र • भारी पानी के संयंत्र • परमाणु ईंधन परिसर, • अनुसंधान एवं विकास इकाइयां। 	<p>साइट का नाम या परमाणु सामग्री का विवरण और सुविधा/स्थापना से संबंधित अन्य सभी विशेषताएं।</p> <p>नोट: इन सभी प्रतिष्ठानों को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।</p> <p>"परमाणु सामग्री" का अर्थ है -</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्लूटोनियम-239; यूरेनियम- 233; 235 या 233 समस्थानिकों में समृद्ध यूरेनियम; पूर्वगामी में से एक या अधिक युक्त कोई भी सामग्री। • यूरेनियम जिसमें अयस्क या अयस्क अवशेषों के अलावा प्रकृति में पाए जाने वाले समस्थानिकों का मिश्रण होता है; यूरेनियम की कमी वाले आइसोटोप 235; थोरियम; धातु, मिश्र धातु, रासायनिक यौगिक, या सांद्र के रूप में पूर्वगामी में से कोई भी
28.	परमाणु खनिज जमा क्षेत्र- यूरेनियम जमा सहित स्थापित परमाणु खनिज जमा, ग्रेड के बावजूद। यह परमाणु खनिज निक्षेप की सीमा से 1 किमी बफर जोन वाले बहुभुजों द्वारा परिभाषित क्षेत्र होंगे। इसके अलावा, सक्रिय परमाणु खनिज अन्वेषण और परमाणु खनिज पुनर्प्राप्ति इकाइयों का क्षेत्र	<p>साइट का नाम या परमाणु खनिजों का विवरण भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है।</p> <p>"परमाणु खनिज" में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1975 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट खनिज शामिल हैं। परमाणु खनिजों के लिए, अन्वेषण और दोहन के लिए प्रारंभिक मूल्य परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 के तहत निर्धारित हैं।</p>
29.	सैन्य प्रतिष्ठान।	<p>साइट का नाम या सुविधा का विवरण और सुविधा/स्थापना से संबंधित अन्य सभी विशेषताएं।</p> <p>नोट: इन सभी प्रतिष्ठानों को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर</p>

		ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।
30.	अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़।	साइट का नाम या सुविधा का विवरण और सुविधा/स्थापना से संबंधित अन्य सभी विशेषताएं। नोट: इन सभी प्रतिष्ठानों को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।
31.	एयरफोर्स एयरफील्ड - रनवे, टैक्सी ट्रेक, एप्रन, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सुविधाएं।	भार वर्गीकरण विवरण, उप-ग्रेड विशेषताएं, निर्माण सामग्री, मरम्मत/नवीनीकरण विवरण भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है।
32.	एयर फोर्स एयरफील्ड-एयरक्राफ्ट हैंगर, ब्लास्ट पेन/एयरक्राफ्ट शेल्टर, ऑप्स कॉम्प्लेक्स, हेड क्वार्टर बिल्डिंग, एम्युनिशन डंप, फ्यूल फैसिलिटी/रीफ्यूलिंग पॉइंट।	साइट का नाम या सुविधा का विवरण और सुविधा/स्थापना से संबंधित अन्य सभी विशेषताएं। नोट: इन सभी प्रतिष्ठानों को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।
33.	भारतीय वायु सेना के एयर बेस - नेविगेशन सुविधाएं, संचार सुविधाएं, रडार, वायु रक्षा इकाई/बंदूकें/मिसाइल लॉन्चर/रडार, ग्राउंड शोषण प्रणाली, तकनीकी/रखरखाव सुविधाएं, भारतीय वायुसेना के लिए सैन्य वाहन पार्किंग क्षेत्र, भारतीय वायुसेना के लिए पावर स्टेशन/ग्रिड, पंपिंग स्टेशन (जल) भारतीय वायु सेना, परिधि फेंसिंग।	साइट का नाम या सुविधा का विवरण और सुविधा/स्थापना से संबंधित अन्य सभी विशेषताएं। नोट: इन सभी प्रतिष्ठानों को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।
34.	आई ए एफ रडार/सिग्नल यूनिट्स रडार रैम्प, रडार/डिश एंटीना/कम्युनिकेशन टावर्स/एंटीना, ऑपरेशन रूम, मेटेनैस इक्विपमेंट डिपो, पेरीमीटर फेंसिंग।	साइट का नाम या सुविधा का विवरण और सुविधा/स्थापना से संबंधित अन्य सभी विशेषताएं। नोट: इन सभी प्रतिष्ठानों को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।

35.	आईएफ गोला बारूद/मिसाइल यूनिट/डिपो - भंडारण पेन/हेंगर/साइलो/पत्रिकाएं भूमिगत सुविधाएं, सुरंग प्रवेश द्वार, लॉन्चर/हेंगर।	साइट का नाम या सुविधा का विवरण और सुविधा/स्थापना से संबंधित अन्य सभी विशेषताएं। नोट: इन सभी प्रतिष्ठानों को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।
36.	भारतीय वायु सेना/नौसेना - ईंधन/तेल भंडारण सुविधा- ईंधन/तेल टैंक, ईंधन भरने वाले स्थान, तेल टैंकर, पार्किंग सुविधा, भूमिगत भंडारण सुविधा, ईंधन पंपिंग स्टेशन, ईंधन/गैस पाइपलाइन।	साइट का नाम या सुविधा का विवरण और सुविधा/स्थापना से संबंधित अन्य सभी विशेषताएं। नोट: इन सभी प्रतिष्ठानों को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।
37.	भारतीय वायु सेना की एयरोस्टेट इकाइयाँ- गुब्बारा / उत्पादन क्षेत्र, नियंत्रण कक्ष।	साइट का नाम या सुविधा का विवरण और सुविधा/स्थापना से संबंधित अन्य सभी विशेषताएं। नोट: इन सभी प्रतिष्ठानों को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।
38.	भारतीय वायु सेना वाहन पार्क- IAF रडार / सिग्नल / इकाइयाँ, IAF गोला बारूद मिसाइल इकाई / डिपो, IAF एयरोस्टेट इकाइयाँ	वाहनों के प्रकार, तकनीकी/परिचालन संबंधी विशेषताओं को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना चाहिए।
39.	IAF सामरिक भवन-भारतीय वायु सेना के ठिकाने, IAF रडार / सिग्नल इकाइयाँ।	साइट का नाम या सुविधा का विवरण और सुविधा/स्थापना से संबंधित अन्य सभी विशेषताएं। नोट: इन सभी प्रतिष्ठानों को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।
40.	नौसेना प्रतिष्ठान।	साइट का नाम या सुविधा का विवरण और सुविधा/स्थापना से संबंधित अन्य सभी

		<p>विशेषताएं।</p> <p>नोट: इन सभी प्रतिष्ठानों को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।</p>
41.	नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर - पावर हाउस स्टेशन, पावर लाइन, पावर प्लांट, टेलीफोन एक्सचेंज/टेलीफोन लाइन।	<p>साइट का नाम या सुविधा का विवरण और सुविधा/स्थापना से संबंधित अन्य सभी विशेषताएं।</p> <p>नोट: इन सभी प्रतिष्ठानों को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।</p>
42.	मिलिट्री/नेवल एयर बेस- एयरोड्रम/लैंडिंग/ग्राउंड्स/लैंडिंग स्ट्रिप्स/लैंडिंग ग्राउंड स्ट्रिप, संचार संरचना।	<p>साइट का नाम या सुविधा का विवरण और सुविधा/स्थापना से संबंधित अन्य सभी विशेषताएं।</p> <p>नोट: इन सभी प्रतिष्ठानों को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।</p>
43.	नौसेना वायरलेस संचार टावर।	<p>बेतार संचार केंद्र की फ्रीक्वेंसी रेंज को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है।</p>
44.	समुद्र तट-सैन्य इन्फ्रा/बाधाएं।	<p>सुविधा/स्थापना से संबंधित सुविधा और अन्य सभी विशेषताओं का विवरण।</p> <p>नोट: इन सभी सुविधाओं को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।</p>
45.	ग्लेशियर झील	<p>गहराई को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना चाहिए।</p>
46.	हेलीपैड - सैन्य/नौसेना अवसंरचना और उपकरण।	<p>बुनियादी ढांचे और उपकरणों और इनसे संबंधित अन्य सभी विशेषताओं का विवरण।</p> <p>नोट: इन सभी सुविधाओं को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप</p>

		में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।
47.	साइफन / एक्काडक्ट। - अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी)/नियंत्रण रेखा (एलसी)/वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के 25 किमी तक साइफन/जलीय टैंक/जल संचयन	आयाम भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किए जाने हैं।
48.	खाई और बांध डीसीबी- 25 किमी . तक डीसीबी रक्षा अभिविन्यास अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी)	आयाम भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किए जाने हैं।
49.	सैन्य दृष्टिकोण के लिए जल निकाय - फोर्ड, हेडवर्क / स्लुइस गेट, रणनीतिक सुरंग, पुल, बांध / बांध रक्षा बलों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) / नियंत्रण रेखा (एलसी) / वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के 25 किमी तक।	साइट का नाम या सुविधा का विवरण और सुविधा/स्थापना से संबंधित अन्य सभी विशेषताएं। नोट: इन सभी सुविधाओं को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।
50.	रक्षा संबंधी सैन्य अवसंरचना - बंकर फील्ड डिफेंस, कमांड कंट्रोल मुख्यालय, संचार टावर/नोड्स, जल आपूर्ति योजना, अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी)/नियंत्रण रेखा (एलसी)/वास्तविक नियंत्रण रेखा के 25 किमी तक रक्षा से संबंधित भंडारण अवसंरचना जैसे क्षेत्र (एलएसी)।	साइट का नाम या सुविधा का विवरण और सुविधा/स्थापना से संबंधित अन्य सभी विशेषताएं। नोट: इन सभी सुविधाओं को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।
51.	रक्षा के लिए विशेष सड़क/ट्रैक - अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी)/नियंत्रण रेखा (एलसी)/वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के 25 किमी तक।	साइट का नाम या सुविधा का विवरण और सुविधा/स्थापना से संबंधित अन्य सभी विशेषताएं। नोट: इन सभी सुविधाओं को भू-स्थानिक डेटा और मानचित्र में लेबल नहीं किया जाना है। वेक्टर रूप में और भू-टैग किए गए रेखापुंज रूप में इन प्रतिष्ठानों (बिंदु, रेखा, बहुभुज) की फीचर ज्यामिति से जुड़ी कोई विशेषता को दिखाना नहीं है।

*चूंकि ऊपर उल्लिखित सुरक्षा प्रतिष्ठान/विशेषताएं और सुरक्षित सुविधाएं काफी सामान्य हैं, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां किसी विशेष सुविधा के मामले में कुछ विशेषताओं को यहां प्रतिबंधित किया जाता है, उन सुविधाओं के मालिक के रूप में संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुमति दी जाती है और उपलब्ध कराई जाती है। उनके संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर, उनके परिसर के बाहर सार्वजनिक नोटिस और साइनेज के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है या सार्वजनिक प्रसार के लिए उनके द्वारा साझा किया जाता है और ऐसे मामलों में, ऊपर

उल्लिखित निर्धारित नियम उन विशिष्ट मामलों के लिए ऐसी सुविधाओं के मालिक के अनुमत सीमा तक छूट रहेंगे।

[फा. सं. 401/70/2020- सीमाशुल्क III]

मनीष कुमार चौधरी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2022

No. 82/2022-Customs (N.T.)

S.O. 4518(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 227-CUSTOMS/F. No. 405/3/80-CUS.III, dated the 29th November, 1980, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide the G.S.R. 1232, dated the 29th November, 1980, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government on being satisfied that for the maintenance of the security of India, it is necessary so to do hereby prohibits the export of Maps and Geospatial data of spatial accuracy and value finer than the threshold values as specified in Annexure-I appended to this notification.

2. Export of Maps and Geospatial data with attributes mentioned in Annexure - II appended to this notification shall be restricted as per the sensitive attributes as specified in column (3) of the Table under the said Annexure-II.

ANNEXURE-I

Threshold values as specified in the Guidelines issued by the Department of Science and Technology, Government of India on the 15th February 2021

1. On-site spatial accuracy - one meter for horizontal or Planimetry and three meters for vertical or Elevation.
2. Gravity anomaly - one milli-gal.
3. Vertical accuracy of Bathymetric data in Territorial Waters - ten meters for up to five hundred meters from the shore-line and one hundred meters beyond that.

ANNEXURE-II

List of Features/Installations and their sensitive attributes

Table

Sl.No.	Security Installations/ Features and secured facilities	Sensitive attributes along with stipulated regulations*
(1)	(2)	(3)
1.	Interim Missile Test Range/ITR.	Site name or description of facility and all the other attributes related to the feature/installation. Note: All these Installations Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.
2.	Integrated Missile Test Range.	
3.	Missile Firing Range.	
4.	Missile Launch control	
5.	Missile Launching Pad	
6.	Missile Launch Complex / Facility	
7.	Missile technical Area	
8.	Missile Silos	
9.	Mobile Telemetry sites (for Missile)	
10.	Nuclear missile	

11.	Electro Optical tracking site at ITR	
12.	Radar Site	
13.	Oil Bulk Depots/ storage tanks	
14.	LPG/ LNG Storage area/tanks	
15.	Operational control rooms of Oil & Gas Terminals.	
16.	Ammunition magazines/Depot.	
17.	Explosive storage areas magazines	
18.	Bio Safety Level 3 and level 4 Labs	
19.	SFC (Strategic Force Complex).	
20.	Aviation Research Centre (ARC).	
21.	Cabinet Secretariat.	
22.	Intelligence Bureau (IB).	
23.	National Security Council Secretariat (NSCS).	
24.	Research & Analysis Wing (R&AW)	
25.	Space Centre	
26.	Space Port	
27.	All Nuclear installations across the country including: <ul style="list-style-type: none"> • Nuclear Power Plants • Heavy Water Plants • Nuclear Fuel Complex, • Research & Development Units. 	<p>Site name or description of nuclear material and all the other attributes related to the feature/installation.</p> <p>Note: All these Installations Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.</p> <p>"Nuclear material" means -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plutonium-239; uranium- 233; uranium enriched in the isotopes 235 or 233; any material containing one or more of the foregoing. • Uranium containing the mixture of isotopes occurring in nature other than in the form of ore or ore residue; uranium depleted in the isotope 235; thorium; any of the foregoing in the form of metal, alloy, chemical compound, or concentrate
28.	Atomic minerals deposit area- Established atomic mineral deposits including uranium deposits, irrespective of grade. It shall be areas defined by polygons with 1 km buffer zone from the boundary of the atomic mineral deposit. In addition, area of active atomic mineral exploration and atomic mineral recovery units	<p>Site name or description of atomic minerals Not to be labelled in Geospatial data and Map.</p> <p>"Atomic mineral" includes the minerals as specified in Part B of the First Schedule to the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1975 (67 of 1975). For Atomic Minerals, threshold values for exploration and exploitation are prescribed under Atomic Mineral Concession Rules, 2016.</p>
29.	Military Installations.	<p>Site name or description of facility and all the other attributes related to the feature/installation.</p> <p>Note: All these Installations Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.</p>

30.	International Border Fence.	Site name or description of facility and all the other attributes related to the feature/installation. Note: All these Installations Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.
31.	Airforce Airfield -Runway, Taxi track, Apron, Aircraft Control Facilities.	Load classification details, sub-grade characteristics, construction material, repair/renovation details Not to be labelled in Geospatial data and Map.
32.	Air force Airfield-Aircraft hangars, Blast pen/aircraft shelter, Ops Complex, Head quarter building, Ammunition dump, Fuel facility/refuelling point.	Site name or description of facility and all the other attributes related to the feature/installation. Note: All these Installations Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.
33.	Indian Airforce Air Bases - Navigation facilities, Communication facilities, Radar, Air defence unit/guns/missile launcher/radars, Ground Exploitation Systems, Technical/ Maintenance facilities, Military vehicles parking area for IAF, Power Stations / Grids for IAF, Pumping Stations (Water) of IAF, Perimeter fencing.	Site name or description of facility and all the other attributes related to the feature/installation. Note: All these Installations Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.
34.	IAF Radar/Signal Units Radar ramp, Radar/Dish antenna/Communication towers/antennae, Ops room, Maintenance equipment depot, Perimeter fencing.	Site name or description of facility and all the other attributes related to the feature/installation. Note: All these Installations Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.
35.	IAF Ammunition/Missile Unit/Depot - Storage pens/ hangers/ silos/ magazines Underground facilities, Tunnel entrance, Launcher/hangers.	Site name or description of facility and all the other attributes related to the feature/installation. Note: All these Installations Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.
36.	Indian Airforce/Naval - Fuel/oil storage facility-Fuel/oil tanks, Refuelling points, Oil tankers, parking facility, Underground storage facility, Fuel pumping stations, Fuel/gas pipelines.	Site name or description of facility and all the other attributes related to the feature/installation. Note: All these Installations Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.
37.	Indian Air force Aerostat Units- Balloon / hoisting Area, Control rooms.	Site name or description of facility and all the other attributes related to the feature/installation. Note: All these Installations Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.
38.	Indian Airforce Vehicle Parks- IAF Radar/	Type of Vehicles, Technical / Operational

	signal/Units, IAF ammunition missile unit/ depot, IAF Aerostat units.	specifications Not to be labelled in Geospatial data and Map.
39.	IAF Strategic Building-Indian Airforce Bases, IAF Radar/ Signal Units.	Site name or description of facility and all the other attributes related to the feature/installation. Note: All these Installations Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.
40.	Naval Installations.	Site name or description of facility and all the other attributes related to the feature/installation. Note: All these Installations Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.
41.	Naval Infrastructure - Power house station, power line, power plant, telephone exchange/telephone line.	Site name or description of facility and all the other attributes related to the feature/installation. Note: All these Installations Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.
42.	Military/Naval Air Bases-Aerodrome /landing/grounds/landings strips/ landing ground strip, communication structure.	Site name or description of facility and all the other attributes related to the feature/installation. Note: All these Installations Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.
43.	Naval Wireless communication tower.	Frequency range of wireless communication centre Not to be labelled in Geospatial data and Map.
44.	Beach -Military Infra/obstacles.	Description of facility and all the other attributes related to the feature/installation. Note: All these facilities Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.
45.	Glacier lake	Depth Not to be labelled in Geospatial data and Map.
46.	Helipad - military/naval infrastructure and equipment.	Description of infrastructure and equipment and all the other attributes related to these. Note: All these facilities Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.
47.	Siphon/Aqueduct. - Siphon/Aquatic Tank/	Dimensions Not to be labelled in Geospatial data

	Aqueduct upto 25 km of International Boundafy (IB)/Line of Control (LC)/Line of Actual Control (LAC)	and Map.
48.	Ditch and Bundh DCB- DCB defence orientation upto 25km of International Boundary (IB)	Dimensions Not to be labelled in Geospatial data and Map.
49.	Water bodies for military perspective - Ford, Headwork/sluice gate, strategic Tunnel, Bridge, Dams/weirs related to defence forces upto 25 km of International Boundary (IB)/Line of Control (LC)/Line of Actual Control (LAC).	Site name or description of facility and all the other attributes related to the feature/installation. Note: All these facilities Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.
50.	Defence related military infrastructure - Areas like bunkers field defences, command control HQ, communication towers/ nodes, water supply scheme, storage infrastructure related to Defence upto 25km of International Boundary (IB)/Line of Control (LC)/Line of Actual Control (LAC).	Site name or description of facility and all the other attributes related to the feature/installation. Note: All these facilities Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.
51.	Road/Tracks exclusive to Defence - Upto 25km of International Boundary (IB)/Line of Control (LC)/Line of Actual Control (LAC).	Site name or description of facility and all the other attributes related to the feature/installation. Note: All these facilities Not to be labelled in Geospatial data and Map. No attribute to be attached to the feature geometry of these installations (Point, Line, Polygon) in vector form and in Geo-tagged Raster form.

*Since the security Installations/Features and secured facilities mentioned above are quite generic, there may be instances where some of the attributes restricted here in case of a particular facility are allowed by the Ministry/Department concerned as owner of those facilities and made available on the official website of their organisation, displayed through public notices and signages outside their compounds or other-wise shared by them for public dissemination and in such cases, the stipulated regulations as mentioned above shall stand relaxed for those specific cases to the extent allowed by the owner of such facilities.

[F. No. 401/70/2020-Cus. III]

MANISH KUMAR CHOUDHARY, Under Secy.